सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

(संस्कृत शिक्षा विभाग)

नागरिक अधिकार –पत्र

(आचार्यः अन्तेवासिनम् उपदिशति)

संस्कृत शिक्षा विभाग,राजस्थान

डा0एस0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लाक नम्बर –6,

जवाहरलाल नेहरु मार्ग, जयपुर दूरभाषः

0141–2704357,0141–2704358

CHARTER

A WRITTEN GRANT OF RIGHTS GIVEN BY LEGISLATURE OR A DOCUMENT SETTING FOR THE AIMS AND PRINCIPLES OF A UNITED GROUP.

नागरिक अधिकार –पत्र
का आशय एक वैधानिक सरकार
द्वारा
अपने नागरिकों को
दी जाने वाली लिखित अधिकार स्वीकृति
से है ।

अनुक्रमणिका

क्र0 स0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राक्कथन	4
2.	परिचय	5
3.	संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन	6
4	संस्कृत शिक्षा के स्वीकृत पद एवं शैक्षणिक संगठन	7
5.	संस्कृत शिक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप	8
6.	संस्कृत शिक्षा विभाग का शैक्षणिक स्वरूप	7 से 9
5.	विभाग मे नियुक्ति के प्रकार एवं प्रकिया	9–10
6.	विभाग मे स्थानान्तरण प्रकिया	10
7.	संस्कृत दिवस समारोह	11
8	संस्था क्रमोन्नति एवं विभागीय नीति	11
9.	क्रीडा प्रतियोगिताएं	12–13
10	छात्रवृत्तियां	14
11	असहाय एवं निर्धन संस्कृत पण्डितो को सहायता	14
12	शिक्षक सम्मान	14
13	भामाशाह पुरस्कार	14
14	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	14
15	संस्था विकास कोष	15
16	विद्यालय मान्यता	15–16
17	महाविद्यालय मान्यता	16
18	विद्यालय समय/विद्यालय प्रवेश	16–18
20	जन्मतिथि एवं नाम परिर्वतन	18–19
21	शिक्षक प्रशिक्षण	19
23	सूचना का अधिकार	20
24	विभागीय कार्यालय संबंधी सूचना	21

प्राक्कथन

संस्कृत और संस्कृति एक दूसरे की पूरक है। भारत वर्ष में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद चहुॅमुखी प्रगाति हुई। नागरिको को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना स्वच्छ पारदर्शी, संवेदनशील एवं उत्तरदायी प्रशासन देना एक जनतान्त्रिक सरकार का प्रथम कर्तव्य है । इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियो की जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है । इसी अपेक्षा को मूल स्वरुप प्रदान करने हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा यह नागरिक अधिकार –पत्र तैयार किया गया है ।

सूचना का अधिकार जनतन्त्र का प्राण है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही उत्कृष्ट प्रशासन के आधार स्तम्भ है । आशा है, संस्कृत शिक्षा के इस नागरिक अधिकार– पत्र के माध्यम से विद्यार्थी एवं अभिभावक अपने अधिकारों से भिज्ञ हो सकेगे तथा संस्कृत शिक्षा विभाग में अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सकेंगे ।

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान

जयपुर
दिनांकः 24.01.2011

परिचय

भारतीय संविधान की भावना के अनुरुप संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र पुस्तिका का अद्यतन प्रकाशन किया गया है । सर्व विदित है, कि विश्व की समग्र भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम है । भारत की अन्य समस्त भाषाओ की जननी भी संस्कृत भाषा ही है । मानव के मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या संस्कृत के ग्रन्थों में सर्वत्र उपलब्ध है ।

इस पुस्तिका में संस्कृत शिक्षा के प्रशासनिक, शैक्षिक स्वरुप को सरल एवं सहज रुप में लिखने का प्रयास रहा है । सम्पूर्ण राज्य में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं महाविद्यालय/विद्यालयों के संचालन हेतु एक स्वतन्त्र संस्कृत शिक्षा निदेशालय स्थापित किया हुआ है जो गुणात्मक प्रगति का सतत् अनुश्रवण करता है ।

संस्कृत शिक्षा निदेशालय राज्य के नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में निरन्तर जागरुक है, इस दृष्टि से ही यह नागरिक अधिकार पत्र की भावना के अनुरुप पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है । प्रायः आधारभूत सूचनाएं इस में समाविष्ट है । भविष्य में श्रेष्ठ प्रकाशन हेतु आपके लिखित विचार सादर आमन्त्रित है ।

(हरिशंकर भारद्वाज)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

जयपुर
दिनांक 24.01.2011

यावद् भारतवर्षं स्यात् यावद् विन्ध्यहिमाचलौ ।
यावद् गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम् ।।

संस्कृत भाषा भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना का प्राण है। यह न केवल विश्व की अन्य भाषाओं से विशुद्व और समृद्ध है अपितु इनसे अधिक परिष्कृत भी है। यह भाषा जितनी सुबोध एवं सरल है उतनी ही सारगर्भिता इस भाषा में निहित है। विश्व की समग्र भाषाओं में प्रचीनतम यह भाषा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत न केवल भाषा है अपितु यह समस्त मानवजाति के लिए दिव्य संदेशो की संवाहिका है। ''वयं राष्ट्रे जागृयामः'' वैदिक मंत्र की दिशा समाज में राष्ट्र भावना का प्रतिदिन संचार करती है।

आज राष्ट्रीय एकता,सामाजिक समरसता एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना संस्कृत के संदेशों से ही संभव हो सकती है । इस भाषा ने विविध धर्मो,दर्शनों,भाषाओं और साहित्य के पोषण के लिए एक विशेष आधार भूमि प्रदान की है । अपनी गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति लिऐ हुये संस्कृत भाषा ने भारतीय चिन्तन,साहित्य तथा संस्कृति के सौष्ठव और श्रेष्ठता में प्रचुर योगदान दिया है।

संस्कृत की इन्हीं अनुपम विशेषताओं के कारण इस अमूल्य धरोहर की समुचित प्रतिस्थापना करने एवं प्रचार प्रसार की दृष्टि से सन् 1956 में भारत सरकार द्वारा **संस्कृत आयोग** का गठन किया गया तदनुरूप सन् 1958 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्वतंत्र **संस्कृत शिक्षा निदेशालय** की स्थापना कर संस्कृत के संवर्द्वन,संपोषण,योजनाबद्व विकास और विस्तार की दृष्टि से नवीन आयाम स्थापित किये । आज देश में राजस्थान ही कनिष्ठिकाधिष्ठित वह प्रदेश है जिसमें संस्कृत का स्वतंत्र निदेशालय एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री है। संस्कृत के शिक्षण प्रशिक्षण और शोध के दृष्टिकोण से विद्यालय और महाविद्यालयों के अतिरिक्त संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यरत है तथा रचनाधर्मी एवं साहित्य सेवियों के लिए संस्कृत अकादमी संचालित है ।

1. <u>प्रशासनिक गठन :</u>

संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना के समय जहॉ राज्य में राजकीय एवं अराजकीय कुल 109 संस्थाऍ संचालित थीं वे वर्ष 2010 तक बढकर 1975 हो गई हैं। आज भी यह विभाग निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ रहा है। संस्कृत शिक्षा के प्रचार–प्रसार में राज्य की राजधानी जयपुर स्थित निदेशालय, संस्कृत शिक्षा सम्पूर्ण राज्य में संचालित संस्कृत महाविद्यालयों/संस्कृत विद्यालयों के लिए शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तर के नीति निर्माण के साथ–साथ निर्देशों को भी परिणति दे रहा है।

संस्कृत शिक्षा विभाग अपने 6 संभागों और अपनी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से राज्य के कोने–कोने तक प्रचार–प्रसार पाने में सफल रहा है। माननीय संस्कृत शिक्षा मन्त्री महोदय के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष संस्कृत संस्थाओं की संख्यात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि की सतत प्रगतिशीलता का परिचायक है ।

संस्कृत शिक्षा विभाग का संघटनात्मक स्वरुप

संस्कृत शिक्षा मंत्री

संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

उप शासन सचिव(शिक्षा)

निदेशक,संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर

संभागीय शिक्षा अधिकारी/संभागीय निरीक्षक (संभाग स्तर)

केन्द्रीय कार्यालय के सहयोगार्थ कार्य निस्तारण हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग में निम्नलिखित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं :–

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत संख्या
1	2	3
अ–प्रशासनिक पद		
1–	निदेशक	01
2–	संयुक्त निदेशक	01
3–	सहायक निदेशक	02
4–	मूल्यांकन अधिकारी	01
5–	संभागीय शिक्षा अधिकारी	5
6–	संभागीय निरीक्षक	01
7–	उपनिरीक्षक	08
8–	शैक्षणिक अधिकारी	02
9–	सहायक उपनिरीक्षक	12
योग		33
(ब)लेखा शाखा के पद		
1–	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1
2–	सहायक लेखाधिकारी	2
3–	लेखाकार	8
4–	कनिष्ठ लेखाकार	15
(स)मंत्रालयिक सेवा व अन्य सेवाओं में पद		
1.	कार्यालय अधीक्षक	3
2.	निजी सहायक	2
3.	कार्यालय सहायक	25
4.	वरिष्ठ लिपिक	140
5.	कनिष्ठ लिपिक	103
6.	विधि सहायक	1
7.	सांख्यिकी निरीक्षक	1
8.	संगणक	1
9.	कम्प्यूटर आपरेटर	1
10.	वाहन चालक	1
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	247
12.	जमादार	2
13.	प्रयोगशाला सेवक	38
14.	चौकीदार	4
योग		**598**

2.शैक्षणिक संघटन

संस्कृत शिक्षा के पारम्परिक एवं आधुनिक शिक्षण के लिये संस्कृत निदेशालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न स्तरीय विद्यालय/महाविद्यालय निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विद्यालय/महाविद्यालय	राजकीय	अराजकीय	योग
1.	आचार्य महाविद्यालय (स्नातकोत्तर)	10	13	23
2.	शास्त्री महाविद्यालय (स्नातक)	18	12	30
3.	वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय (सीनि.सैकण्डरी स्तर)	117	18	135
4.	प्रवेशिका (सैकण्डरी स्तर)	134	65	199
5.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (मिडिल स्तर)	1215	266	1481
6.	प्राथमिक स्तर	10	11	21
7.	शिक्षाशास्त्री प्रशिक्षण महाविद्यालय–		70	70'
8.	शिक्षक प्रशिक्षण विघालय	1	15	16'
		1505	470	1975

(राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी संस्थाओं की संख्या है)

उपर्युक्त में से राजकीय शिक्षण संस्थाओं की शिक्षण व्यवस्था के लिये प्राचार्य,प्रोफेसर,व्याख्याता,प्रधानाध्यापक,शारीरिक शिक्षक,पुस्तकालयाध्यक्ष आदि के निम्न विवरणानुसार पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है :–

(अ)संस्थागत प्रशासनिक पद

		स्वीकृत पद संख्या
1.	प्राचार्य,आचार्य	8
2.	प्राचार्य,एस.टी.सी.	1
3.	प्राचार्य,शास्त्री	18
4.	प्राचार्य,वरिष्ठ उपाध्याय	112
5.	प्रधानाध्यापक प्रवेशिका	60
		199

(ब)संस्थागत शैक्षणिक पद

		स्वीकृत पद संख्या
1.	प्रोफेसर	28
2.	व्याख्याता	163
3.	वरिष्ठ अध्यापक–प्रथम ग्रेड	404
4.	वरिष्ठ अध्यापक–द्वितीय ग्रेड	2120
5.	अध्यापक तृतीय ग्रेड	6284
6.	व्यायाम शिक्षक–द्वितीय ग्रेड	26
7.	व्यायाम शिक्षक–तृतीय ग्रेड	95
8.	पुस्तकालयाध्यक्ष–द्वितीय ग्रेड	16
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष–तृतीय ग्रेड	58
10.	प्रयोगशाला सहायक–तृतीय ग्रेड	54
योग		**9248**

संस्कृत शिक्षा विभाग मे शैक्षणिक स्वरुप

संस्था स्तर	सम्बद्वता	समकक्षता	पढाये जाने वाले विषय
आचार्य स्तर	श्रीजगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	एम.ए.	1वेद(ऋगवेद,यजुर्वेद,सामवेद, अथर्ववेद) 2.ज्योतिष (गणित एवं फलित) 3.साहित्य 4.व्याकरण 5.न्याय दर्शन 6.धर्मशास्त्र 7.जैन दर्शन 8.पुराणेतिहास 9.सामान्य दर्शन
शास्त्री स्तर	श्रीजगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	बी.ए.	**परम्परागत विषयःवर्गवार** 1वेद(ऋगवेद,यजुर्वेद,सामवेद, अथर्ववेद) 2.ज्योतिष (गणित एवं फलित) 3.साहित्य 4.व्याकरण 5.न्याय दर्शन 6.धर्मशास्त्र 7.जैन दर्शन 8.पुराणेतिहास 9.सामान्य दर्शन 10.बौद्ध दर्शन 11.पौरोहित्य 12.निम्बार्क दर्शन **आधुनिक विषयः** 1.अंग्रेजी साहित्य, 2.हिन्दी साहित्य, 3.इतिहास, 4.राजनीति विज्ञान, 5.समाज शास्त्र, 6.गृह विज्ञान 7.अर्थशास्त्र 8.सांख्यिकी 9. लोक प्रशासन 10.प्रारंभिक कम्प्यूटर पर्यावरण अध्ययन
शिक्षा शास्त्री	श्रीजगद्गुरू रामानन्दाचार्य	बी.एड.	पाठयक्रमानुसार

स्तर	राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,जयपुर		
विद्यालय स्तर			
संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय	पंजीयक,बीकानेर	एस.टी.सी.	पाठयक्रमानुसार
वरिष्ठ उपाध्याय स्तर	मध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर	सीनियर सैकण्डरी	मुख्य वैकल्पिक शास्त्रीय विषय **वेद वर्ग** 1वेद(ऋगवेद,यजुर्वेद,सामवेद, अथर्ववेद) **दर्शन वर्ग** 1.सामान्य दर्शन 2.वेदान्त दर्शन 3. मीमांसा दर्शन 4.जैन दर्शन 1. निम्बार्क दर्शन 2. बल्लभ दर्शन 3. न्याय दर्शन **शास्त्र वर्ग** 1. व्याकरण शास्त्र 2. साहित्य शास्त्र 3. पुराणेतिहास 4. धर्म शास्त्र 5. ज्योतिष शास्त्र 6. पौरोहित्य **मुख्य वैकल्पिक आधुनिक विषय** 1.हिन्दी साहित्य 2.इतिहास 3.राजनीति विज्ञान 4.अर्थ शास्त्र 5.गृह विज्ञान(कलावर्ग) 6.विज्ञान 7.चित्रकला 8.हिन्दीशीघ्रलिपि एवं टंकण लिपि 9.प्रारम्भिक कम्प्युटर अनुप्रयोग
प्रवेशिका स्तर	मध्यमिक शिक्षा	सैकण्डरी	1.हिन्दी

	बोर्ड,अजमेर		2.अंग्रेजी 3.संस्कृत–3पत्र 4.विज्ञान 5.सामाजिक विज्ञान 6.गणित 7.सामाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा 8.कला शिक्षा 9. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 10.कम्प्युटर विज्ञान
उच्च प्राथमिक स्तर	निदेशालय,संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर	उच्च प्राथमिक स्तर	1.सम्पूर्ण अनिवार्य विषय 2. संस्कृतामृतम्
प्राथमिक स्तर	निदेशालय,संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर	प्राथमिक स्तर	1–कक्षा प्रथम में संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान 2.कक्षा–2 से संस्कृतामृतम् 3.कक्षा–3 से अंग्रेजी **एवं सम्पूर्ण अनिवार्य विषय पाठयक्रमानुसार**

1–नियुक्ति के प्रकार एवं प्रक्रिया

संस्कृत शिक्षा विभाग में निम्न प्रकार से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है:–

(1) तृतीय श्रेणी शिक्षक

1.संस्कृत शिक्षक
2.सामान्य शिक्षक

तृतीय श्रेणी शिक्षक की नियुक्ति विभागीय सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डो के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है।

(2) द्वितीय श्रेणी शिक्षक

द्वितीय श्रेणी शिक्षक के विषयवार कुल पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों की पूर्ति विभागीय पदोन्नति से की जाती है।

जानकारी का माध्यम :–

नियुक्तियों के लिये आवेदन पत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के विज्ञापनों के द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है । विज्ञापनों में विषयवार/श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण,पदों की निर्धारित योग्यता,आयु एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि आदि का उल्लेख किया जाता है ।उक्त पदों की नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान है।

(3) वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी,प्रधानाध्यापक,प्रवेशिका

वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी,प्रधानाध्यापक,प्रवेशिका विद्यालय के पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती तथा शेष 50 प्रतिशत पदों की पूर्ति विभागीय पदोन्नति से की जाती है।

(4) राजपत्रित पद :–

राजपत्रित पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकार के स्तर पर (सीधी भर्ती/पदोन्नति)द्वारा प्रदान की जाती है।

(5) व्याख्याता :–

व्याख्याता के पदो पर 50 प्रतिशत भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एवं 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति प्रकिया से की जाती है। प्रस्तावित नवीन सेवा नियमो मे 100 प्रतिशत सीधी भर्ती करने का प्रावधान है।

2. स्थानान्तरण प्रकिया :–

(अ) अराजपत्रित शिक्षकों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण समय–समय पर संस्कृत शिक्षा विभाग के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अन्तर्गत प्राप्त आवेंदन पत्रो पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर रिक्त पदों की पूर्ति को प्राथमिकता देते हुये निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा किये जाते है ।

(ब) राजपत्रित अधिकारियो के स्थानान्तरण राज्य सरकार के स्तर पर किये जाते है ।

3. संस्कृत दिवस समारोह :

संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा**(रक्षा बन्धन)** के अवसर पर अनिवार्य रुप से मनाया जाने वाला राज्यस्तरीय समारोह है जिसके अन्तर्गत

1. संस्कृत के प्रौढ विद्वानो को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र, द्वारा पुरूस्कृत किया जाता है।

2. **(अ)** संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आचार्य ,शास्त्री परीक्षाओ मे तथा राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में एम.ए संस्कृत परीक्षा मे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र, द्वारा पुरूस्कृत किया जाता है।

(ब) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओ की योग्यता सूची के प्रथम तीन स्थान प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को तथा संभाग स्तरीय अष्टम् बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र,दिया जाता है।

(स) श्रेष्ठतम परीक्षाफल देने वाली सस्थाओं को स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण–पत्र द्वारा पुरूस्कृत किया जाता है।

3. संस्थाओं की क्रमोन्नति

(अ) राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपने वित्तीय संसाधनों की सीमाओं में प्रतिवर्ष नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले जाते है । प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रवेशिका स्तर पर एवं प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया जाता है।

(ब) उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार नवीन शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयो की स्थापना की जाती है तथा शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया जाता हे।

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारित की हुई है।

4.विभागीय नीति

1.पंचायत समिति स्तर	तीन प्राथमिक विद्यालय दो उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा एक प्रवेशिका विद्यालय
2.उपखण्ड स्तर	एक वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय
3.जिला स्तर	एक शास्त्री महाविद्यालय
4.संभागीय स्तर	एक आचार्य महाविद्यालय

5. क्रीडा प्रतियोगिताएं

(1)संभागीय (क्षेत्रीय)स्तर

(अ) पूर्व प्रवेशिका स्तर (उच्च प्राथमिक) 1–छात्र वर्ग 2–छात्रा वर्ग
(मेजर गेम्स)(एथलेटिक्स एवं साहित्यक प्रवृत्तियां)
(ब) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर 1–छात्र वर्ग 2–छात्रा वर्ग
(मेजर गेम्स)(एथलेटिक्स एवं साहित्यक प्रवृत्तियां)

(2)राज्य स्तर

(अ) पूर्व प्रवेशिका स्तर (उच्च प्राथमिक) 1–छात्र वर्ग 2–छात्रा वर्ग
(मेजर गेम्स)(एथलेटिक्स एवं साहित्यक प्रवृत्तियां)
(ब) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर 1–छात्र वर्ग 2–छात्रा वर्ग
(मेजर गेम्स)(एथलेटिक्स एवं साहित्यक प्रवृत्तियां)
(स) माध्यमिक (छात्र वर्ग 19 वर्ष) 1–प्रथम समूह (मेजर गेम्स)
2–द्वितीय समूह
(एथलेटिक्स एवं साहित्यक प्रवृत्तियां)

(द) महाविद्यालय स्तर 1–छात्र वर्ग 2–छात्रा वर्ग

नोटः–

अ–संभागीय स्तर पर विजेता (पूर्व प्रवेशिका स्तरीय)छात्र/छात्रा वर्ग दलों को राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।

ब– प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्र वर्ग (19 वर्ष)के संभागीय स्तरीय चयनित दल विभागीय राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिताओं मे भाग लेते है तथा विभागीय राज्य स्तरीय चयनित दलों को माध्यमिक शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।

स–महाविद्यालय स्तर की छात्र/छात्रा वर्गीय क्रीडा प्रतियोगीताऐं जगदगुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी जाती है।

द–विश्वविद्यालय स्तर पर चयनित खिलाडी पश्चिम क्षेत्रीय अन्तःर्विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते है।

6.खेलों एवं अन्य गतिविधियों का विवरण

संस्कृत विभाग द्वारा संभागीय (क्षेत्रीय)राज्य स्तरीय विद्यालय/महाविद्यालय क्रीडा प्रतियोगिता के आयोजन में निम्नलिखित खेल सम्मिलित है :–

(अ) फुटबाल,कबबडी,खो–खो,बैडमिन्टन,बॉलीबाल,कुश्ती,क्रिकेट,हेण्डबाल, ऐथेलेटिक्स इत्यादि ।

(ब) साहित्यिक गतिविधियों में वाद–विवाद(संस्कृत,हिन्दी,अंग्रेजी)अन्त्याक्षरी (संस्कृत,हिन्दी) समस्या पूर्ति के लिए दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र निम्न प्रकार से है:–

स्तर	संभागिता	प्रमाण पत्र
संभागीय (क्षेत्रीय)स्तर (पूर्व प्रवेशिका स्तर)	संभाग की सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सहभागिता	प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त को प्रमाण पत्र
संभागीय (क्षेत्रीय)स्तर (प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय स्तर)	संभाग की सभी प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय सहभागिता	प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त को प्रमाण पत्र
पूर्व प्रवेशिका राज्य स्तर एवं प्रवेशिका वरिष्ठोपाध्याय (छात्रा वर्ग)राज्य स्तर	संभाग के विजेता दल भाग लेते है।	प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त को प्रमाण पत्र
प्रवेशिका वरिष्ठोपाध्याय राज्यस्तर (छात्र वर्ग)राज्य स्तर	संभाग के विजेता दल भाग लेते है।	प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त को प्रमाण पत्र
महाविद्यालय राज्य स्तर	संस्कृत शिक्षा के सभी महाविद्यालयों की सहभागिता	प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त को प्रमाण पत्र

नोटः–विद्यालय वर्ग के छात्रों के लिये राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अवसर प्रदान करने के लिए सामान्य शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में संस्कृत शिक्षा की संस्थाऐंभी सम्मिलित होती है।

8. छात्रवृत्तियॉ :–

(1)परम्परागत छात्रवृत्तियां
(2)राज्य सरकार के नियमानुसार समाजकल्याण विभाग की छात्रवृत्तियां
(3)राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां ।

9. असहाय एवं निर्धन संस्कृत के पण्डितों को सहायता :–

निर्धन पण्डितो को जीवन निर्वाह भत्ता,साहित्य सृजन एवं योग्यता पारितोषिक के रूप उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

10. शिक्षक सम्मान समारोह :–

संस्कृत शिक्षा के 15 शिक्षकों को राज्य स्तर पर एवं दो शिक्षको को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है।

11–भामाशाह पुरस्कार योजना :–

संस्थाओं के विकास हेतु भूमि,भवन एवं आर्थिक सहायोग देने वाले भामाशाहों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है।

(1) प्रक्रिया :–

संस्कृत शिक्षा के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु शैक्षणिक प्रयोजन हेतु दान देने के इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र निदेशक संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर को प्रस्तुत करना होता है। प्राप्त पस्तावों को विभाग द्वारा अन्तिम निर्णय के लिये निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा,बीकानेर को प्रस्तुत किये जाते है।

12.विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना :–

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र– छात्राओं के लिये पृथक–पृथक सामूहिक दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना की क्रियान्विति की गई है। इस संबंध में प्राप्त निर्देशो के अनुसार विद्यार्थियों की दुर्घटना पर मृत्यु/शारीरिक क्षति होने पर दावों का भुगतान संबंधित बीमा विभाग को नियमानुसार निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत करने पर राशि का भुगतान किया जाता है।

13.संस्था विकास कोषः

1. संस्कृत शिक्षा को समाज से जोडने हेतु प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर विद्यालय विकास कोष का गठन करवाने के निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त है। प्रायः समस्त संस्थाओं ने पंजीयक,सहकारी समिति विभाग से संस्था विकास कोष का पंजीयन करवा रखा है।
2. विद्यालय विकास कोष की राशि का उपयोग गठित समिति की सहमति के उपरान्त किया जाता है। यह पारदर्शी एवं विकेन्द्रित प्रकिया है।

विद्यालय /महाविद्यालय मान्यता

क्र सं	विद्यालय/महाविद्यालय का प्रकार	संचालन	विश्वविद्यालय/ बोर्ड द्वारा मान्यता	वित्त व्यवस्था
1.	राजकीय आचार्य महाविद्यालय	राज्य सरकार	राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय	100 प्रतिशत राज्य सरकार
2.	राजकीय शास्त्री महाविद्यालय	राज्य सरकार	राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय	100 प्रतिशत राज्य सरकार
3.	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय	राज्य सरकार	मध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान	100 प्रतिशत राज्य सरकार
4.	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय	राज्य सरकार	मध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान	100 प्रतिशत राज्य सरकार
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक संस्कृत विद्यालय	राज्य सरकार	स्ंस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा	100 प्रतिशत राज्य सरकार
6.	अराजकीय आचार्य एवं शास्त्री महाविद्यालय	प्रबंध समिति	राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर से संबंद्वता तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता	अनुदानित संस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान तथा शेष राशि की प्रबंध समिति द्वारा वेतन व्यवस्था केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं हेतु प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्था

7.	गैर सरकारी वरिष्ठ उपाध्याय एवं प्रवेशिका विद्यालय	प्रबंध समिति	मध्यमि शिक्षा बोर्ड से मान्यता तथा निदेशक,संस्कृत शिक्षा द्वारा	अनुदानित संस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान तथा शेष राशि की प्रबंध समिति द्वारा वेतन व्यवस्था केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं हेतु प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्था
8.	गैर सरकारी उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय	प्रबंध समिति	निदेशक,संस्कृत द्वारा	अनुदानित संस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान तथा शेष राशि की प्रबंध समिति द्वारा वेतन व्यवस्था केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं हेतु प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्था

1. प्रत्येक महाविद्यालय में नवीन विषय/वर्ग खोलने से पूर्व राज्य सरकार से आदेश प्राप्त कर संस्कृत विश्वविद्यालय कीमान्यता आवश्यक है।
2. प्रत्येक विद्यालय में नवीन विषय/वर्ग खोलने से पूर्व राज्य सरकार के आदेश प्राप्त कर माध्यमिक शिखा बोर्ड की मान्यता आवश्यक है।
3. गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.18(1)शिक्षा–5 /2001 दिनांक 28–9–2001 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान न करें सिर्फ मान्यता ही प्रदान की जायें।

विद्यालय समय

एक पारी विद्यालय	दो पारी विद्यालय
1. 1 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक 2. 1 सितम्बर से 31 मार्च तक प्रातः 10.30 से सांय 4.30बजे तक 3. 1 अप्रेल से सत्रान्त तक प्रातः 7. 00 बजे से दोपहर 12.00बजे तक	1. 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घण्टे) 2. 1 अक्टूम्बर से 28 फरवरी तक प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घण्टे) 3. 1 मार्च से सत्रान्त तक प्रातः 7. 00 बजे से सांय 6.00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घण्टे)

1—जन्म तिथि एवं नाम परिवर्तन

1— बोर्ड परीक्षा (कक्षा—10)हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व विद्यार्थी की जन्मतिथि में परिवर्तन कराने की प्रक्रिया :—

(अ) लिपिकीय त्रुटी/किसी अन्य कारण

(ब) आवेदन कैसे करेः

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत करें।

(1)विद्यार्थी के पिता/माता द्वारा शपथ पत्र
(2)दो शपथ पत्र
(3)नगर पालिका/ग्रम पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र
(4)प्रथम प्रवेश के समस जिस विद्यालय में प्रवेश पत्र भरा हो उसकी प्रति
(5)जिस विद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया उसकी प्रति
(6)मूल जन्मपत्री की प्रति

(स) संस्था प्रधान द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

वस्तुस्थिति को अंकित कर प्रार्थना पत्र निदेशक,संस्कृत शिक्षा,जयपुर को अग्रेषित करेगा । निदेशक प्रकरण की जांकर वस्तुस्थिति से संतुष्ट होने पर परिवर्तन की आज्ञा प्रदान करेगे। उसके आधार पर जन्म तिथि में परिवर्तन की आज्ञा प्रदान करेगा । उसके आधार पर छात्र प्रवेश पंजिका में परिवर्तन दर्ज किया जायेगा ।

2.विद्यार्थी का नाम/उप नाम में परिवर्तन

(अ) कारण : अभिभावक का नाम/उपनाम परिवर्तन का कारण

(ब) आवेदन कैसे करें: आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रस्तुत करें:—

1— निर्धारित राशि के स्टम्प पेपर एवं शपथ प्त्र
2—सामाचार पत्र में नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी विज्ञापन की प्रति

3:— संस्था प्रधान द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :—

वस्तुस्थिति को अंकित कर प्रार्थना प्त्र संबंधित सस्था प्रधान तथ्यात्मक जानकारी के साथ प्रकरण निदेशक,संस्कृत शिक्षा को अग्रेषित करेगा । निदेशक प्रकरण की जांच कर वस्तुस्थिति से संतुष्ट होने पर परिवर्तन की आज्ञा प्रदान करेगें। उसके आधार पर छात्र प्रवेश पंजिका में परिवर्तन किया जायेगा ।

4:— विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करते समय प्रविष्टियों में कोई अशुद्वि रह गई है तो परिवर्तन की प्रक्रिया संबंधित शाला का मूल रिकार्ड बोर्ड कार्यालय भेजने पर संशोध्नप संभव है,इस हेतु शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किया हुआ है।

शिक्षक प्रशिक्षण

क्र.स.	पाट्यक्रम	प्रवेश योग्यता	प्रवेश प्रक्रिया	शुल्क
1.	संस्कृत सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र(एस.टी. सी.)	75 प्रतिशत वरिष्ठ उपाध्याय आशार्थी तथा 25 प्रतिशत(10–2)ऐच्छिक संस्कृत विषय सहित आशार्थी जिनके 50 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक परन्तु अ. जाति/अ.ज.जाति के लिये 40 प्रतिशत न्यूतम प्राप्तांक	प्री एस.टी.सी. परीक्षा उत्तीरण करने के बाद वरीयता के आधार पर	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसार
2.	शिक्षा शास्त्री (बी.एड.)	स्नातक स्तर पर संस्कृत ऐच्छिक विषय को सम्मिलित करते हुये दो ऐच्छिक विषयों में 45 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक	पी.टी.ई.टी.परीक्षा उत्तीर्ण उपरान्त वरीयता के आधार पर	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसार

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में आवश्यक जानकारी

1. लोक प्राधिकरण का नाम निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर

क.पदनाम निदेशक

ख. पता डा.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ,ब्लॉक–6 जे. एल.एन.मार्ग,जयपुर

ग. दूरभाष 0141–2704357 ,0141–2704358

2. लोक सूचना अधिकारी डॉ.मण्डन शर्मा

क. पदनाम संयुक्त निदेशक

ख. पता डा.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ,ब्लॉक–6 जे. एल.एन.मार्ग,जयपुर

ग. दूरभाष 0141–2704357 ,0141–2704358

3. **सहायक लोक सूचना अधिकारी** समस्त संभागीय शिक्षा अधिकारी/संभागीय निरीक्षक,संस्कृत शिक्षा,संभागीय कार्यालय, जयपुर,जोधपुर,उदयपुर,कोटा,अजमेर, बीकानेर (चुरू)

4.आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ 10/–रूपये

5. अभिलेखो का निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे –कोई फीस नही अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए 5/–रूपये

6.प्रतिलिपि(ए–4 या ए–3 आकार में) 2/–प्रति पृष्ठ

7.प्रतिलिपि(बडे आकार के पृष्ठ) वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत

8. सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक लागत कीमत

9. डिस्क या फ्लॉपी में 50/–रूपये प्रति फ्लॉपी या डिस्क

10. मुद्रित सूचना के लिए नियत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ट फोटो के लिये 2/–रूपये

शुल्क राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है ।

विभागीय कार्यालयों की सूचना

निदेशालय का पता	डॉ.एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं.6,द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर
दूरभाष	0141–2704357
टेलीफैक्स	0141–2704358
ई–मेल	**dir-sans-rj@nic.in**
वैबसाइट	**www.rajsanskrit.nic.in**

संभागीय कार्यालयों के दूरभाष नम्बर

जयपुर संभाग	0141–2221077
उदयपुर संभाग	0294–2410305
कोटा संभाग	0744–2385275
अजमेर संभाग	0145–2433544
जोधपुर संभाग	0291–2620987
बीकानेर(चुरू)संभाग	01562–252899

विद्यालय शुल्क

कक्षा	आयकरदाता	शिक्षण शुल्क	छात्रनिधि
1 से 3	शून्य	शून्य	शून्य
4 से 5	शून्य	शून्य	5/–प्रति माह
6 से 8	शून्य	शून्य	10/–प्रति माह
9 से 10	बिना आयकर दाता	15/–प्रति माह	200/– प्रति वर्ष
	जिसकी आय 1 से 1.50 लाख तक है	30/–प्रति माह	200/–प्रति वर्ष
	जिसकी आय 1. 50 लाख से अधिक है	50/–प्रति माह	200/–प्रति वर्ष
11 व 12	बिना आयकर दाता	30/–प्रति माह	300/–प्रति वर्ष
	जिसकी आय 1 से 1.50 लाख तक है	60/–प्रति माह	300/–प्रति वर्ष
	जिसकी आय 1. 50 लाख से अधिक है	100/–प्रति माह	300/–प्रति वर्ष
	टंकण / विज्ञान शुल्क		100/–प्रति वर्ष

राजकीय निधि

क्र.सं.	शुल्क प्रभार	वक्षा	राशि
1.	प्रवेश शुल्क	1 से 8	शून्य
2.	टी.सी.शुल्क	1 स 8 तक	शून्य
3.	पुनःप्रवेश शुल्क	1 से 8 तक	शून्य
4.	प्रवेश शुल्क	9 से 12 तक	10/–
5.	टी.सी.शुल्क	9 से 12 तक	5/–
6.	पुनःप्रवेश शुल्क	9 से 12 तक	10/–